(4)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक– /विस/स्था/2022 रायपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–2/2020/1–5 नवा रायपुर, दिनांक 29.01.2022 द्वारा वर्तमान में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए, संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्देश जारी किए गए है । तदनुसार दिनांक 31 जनवरी, 2022 से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में कार्य संचालन निम्नानुसार होगा :–

1. सचिवालय में राजपत्रित अधिकारियों की कार्य दिवस में शत–प्रतिशत उपस्थिति होगी तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति **पचास प्रतिशत** होगी । प्रत्येक शाखा के अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अधिकारी अपनी शाखा के कार्य की आवश्यकता का आंकलन कर तद्नुसार रोस्टर बनायें एवं वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ।
2. कार्यालय आने–जाने हेतु यथा–संभव स्वयं के परिवहन का उपयोग करें। यद्यपि विधान सभा सचिवालय द्वारा पूर्वानुसार वाहन की व्यवस्था की जायेगी किन्तु बस में एवं कार्यालय में बैठक व्यवस्था में सोशल/फिजिकल डिस्टेंस का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा मास्क/फेस कवर का उपयोग अनिवार्य रूप से करें ।
3. जिस कर्मचारी की रोस्टर में ड्यूटी नहीं है, उस दिन वह मुख्यालय पर ही रहेगा, बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे । आवश्यक होने पर किसी भी कर्मचारी को कभी–भी कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।
4. कोविड–19 के संक्रमण को देखते हुए विधान सभा परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।

आदेश से,

हस्ता./–
उप सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक –786/विस/स्था/2022 रायपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि :–

1. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
2. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
3. मान. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
6. सर्वर कक्ष ।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा